



Neutral Citation No.- 2026:AHC:21425

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या 5363 वर्ष 2025

मोहम्मद इदरीश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील
प्रतिवादी के वकील

: गणेश शंकर दुबे
: आज़ाद राय, सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के वकील श्री गणेश शंकर दुबे की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथी दास, राज्य-प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त सीएससी श्री आर.सी. श्रीवास्तव और प्रतिवादी-गांव सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय की दलीलें सुनीं।

2. तत्काल रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश देने हेतु परमादेश रिट की मांग की गई है कि वह यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 331 के तहत द्वितीय अपील संख्या 524/2021 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या AL2021025700524) (अकबलुद्दीन और अन्य बनाम मोहम्मद इदरीश और अन्य) पर निर्धारित समय के भीतर निर्णय ले।

3. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 176 के तहत निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई दूसरी अपील, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बनाया गया है, प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड के समक्ष वर्ष 2021 से लंबित है। उन्होंने यह दर्शाने के लिए लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 उक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए।



30 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.